भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2012
जिसका उत्तर बुधवार, 03 जुलाई, 2019 को दिया जाना है

न्याय अधिकरणों की स्थापना

+2012. श्री कृपाल बालाजी तुमाने :

श्री संजय हरिभाऊ जाधव :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्याय अधिकरणों में कई पद रिक्त हैं और इन न्याय अधिकरणों में पर्याप्त बुनियादी ढांचा नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उक्त न्याय अधिकरणों पर कुल कितनी वार्षिक लागत आई है और उक्तावधि के दौरान कितने नए न्याय अधिकरण गठित किए गए हैं ;

(घ) क्या सरकार ने उक्त न्याय अधिकरणों के कामकाज की समीक्षा की है और उनके कामकाज में सुधार के लिए क्या कदम उठाए हैं ;

(ङ) क्या सरकार न्याय अधिकरणों की संख्या कम करने पर विचार कर रही है; और (च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) से (च) : विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2012 जिसका उत्तर तारीख 03.07.2019 को दिया जाना है के भाग (क) से (च) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण।

(क) से (ग) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

(घ) से (च) : वित्त अधिनियम , 2017 के अध्याय 6 के भाग 14 के उपबंध , अधिकरणों और अन्य प्राधिकारियों के विलय और अध्यक्ष और सदस्यों आदि की सेवा शर्तों के संबंध में हैं , अधिसूचना का .आ1996(अ) द्वारा तारीख 26-05-2017 से प्रवर्तन में आए । अधिकरणों के कार्यों की समीक्षा करने के बाद , संबंधित विधि में संशो धन करके , 15 अधिकरणों को विलय करके 7 कर दिया गया है ।

****